न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/290

मोतीशंकर आत्मज रामनाथ आयु 60 वर्ष जाति रेगर निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

गोपाल आत्मज श्री कल्याण जाति रेगर निवीस गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश कुमार कहार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट गोपाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1554/1430 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी को आवंटित हुई थी तब से ही वह उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है । वर्ष 2005 में वादी ने उक्त भूमि को प्रतिवादी को आधोली पर जुपवा दी । प्रतिवादी समय–समय पर फसल की उपज का पैसा वादी को देता चला आ रहा था । प्रतिवादी ने गत वर्ष भी उक्त कृषि भूमि पर चरी की फसल बोयी थी जिसका 1/2 हिस्सा वादी को दिया । वादी ने प्रतिवादी को वर्ष 2012 में वादग्रस्त आराजी का कब्जा संभलाने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने इंकार कर दिया । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी को उक्त भूमि से बेदखल करवा कर उक्त भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जावे । वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने तक प्रतिवादी से लगान की राशि की 15 गुना राशि प्राप्त करें तथा अन्तकालीन लाभ के रूप में उक्त कृषि भूमि पर होने वाली फसल की बजार भाव से राशि प्राप्त करे तथा उस राशि पर बाजार में प्रचलित ब्याज दर से ब्याज रकम भी प्राप्त करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी शक्तियों से अधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि के सिद्धान्तों की प्रकिया को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है जबकि लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बेदखली का अपीलान्ट के खिलाफ पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद तनकीयात एवं जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । अपीलान्ट के उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाए गये हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट के जवाब एवं दस्तावेजात पर विचार नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया था । अपीलान्ट का कोई काउन्टर क्लेम नहीं है । वादग्रस्त आराजी वादी के खाते की भूमि है जिसे प्रतिवादी ने भी स्वीकार किया हैं आराजी मुनाफा काश्त कर दी गई थी जो परमिसिव पजेशन की श्रेणी में आता है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में उपस्थित हुए हैं दोनों को सुनकर ही निर्णय पारित

किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी उपस्थित हुए हैं परन्तु उनके मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ हो ऐसा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है और न ही कोई राजीनामा पत्रावली में संलग्न किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकी भी कायम की गई जो पत्रावली में शामिल मिसल हैं परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा